संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छटवी मंजिल विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

दूरभाष 0755–2578491 फैक्स 2768159

E-Mail- rkvyhorti@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/समन्वय/सामान्य निर्देश/2016–17/332 भोपाल, दिनांक – 24.11.2016

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

जिला– .... (म. प्र.) समस्त।

विषय– उद्यानिकी विभाग में संचालित समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

––––0––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र कमांक F.N. CPS 1-1/2015-NFSM दिनांक 27 जुलाई 2016 के द्वारा समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का कियान्वयन डीबीटी के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है तथा विभाग में समस्त योजनाओं का का कियान्वयन मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिग सिस्टम के माध्यम किये जाना है। अतः विभाग में संचालित योजनाये यथा राज्य योजनायें, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), राष्ट्रीय औषधी पौधा मिशन (NMMP) का कियान्वयन सुचारू एवं एकरूपता से किये जाने हेतु निम्नानुसार सामान्य निर्देश प्रसारित किये जाते है–

1. आनलाईन पंजीयन/आवेदन–

   कृषकों का आनलाईन पंजीयन/आवेदन मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिग सिस्टम पर अनिवार्य होगा।

2. आवेदन का सत्यापन–

   पंजीयन के दौरान कृषक द्वारा अपलोड किये गये आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन विकासखण्ड स्तर पर किया जावे तथा योजना के प्रावधान अनुसार ही कृषक चयन किया जावे।

3. अनुमोदन–

   विकासखण्ड स्तर से विकासखण्ड के प्रभारी उद्यानिकी अधिकारी के सत्यापन उपरान्त उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा कृषक सूची का परियोजना/घटक में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त करेगे।

4. आशय पत्र –

   अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन आशय पत्र जारी किया जावेगा। आशय पत्र के साथ संबंधित योजना के नियम एवं शर्ते संलग्न किया जावे। जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य अनुसार आशय पत्र जारी किया जावे।

5. कार्य कियान्वयन–

   योजना अंतर्गत आदान सामग्री की व्यवस्था केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्रो/प्रक्षेत्रों/ विभाग द्वारा उत्पादित पौध सामग्री के अलावा अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से की जायेगी। उसी तरह कृषक को PMKSY तथा संरक्षित खेती अंतर्गत अधोसंरचना का निर्माण विभाग में पंजीकृत निर्माता के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा। योजना के प्रावधान अनुसार कृषक द्वारा विकासखण्ड

कार्यालय को कार्यपूर्णता की सूचना एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। जिसे विकासखण्ड कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

6. भौतिक सत्यापन –

जिला कार्यालय द्वारा योजना के प्रावधान अनुसार भौतिक सत्यापन कराकर रिर्पोट प्राप्त की जायेगी

7. अनुदान भुगतान–

भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर कार्य संतोषजनक होने पर अनुदान का भुगतान संबंधित हितग्राही के ही बैंक खातें में कोषालय के माध्यम से किया जावेगा।

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षैत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/उद्यान/समन्वय/सामान्य निर्देश/2016–17/333 भोपाल, दिनांक –24.11.2016

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षैत्र वानिकी, संचालनालय।
3. संयुक्त संचालक उद्यान संभाग ....(म.प्र.) समस्त ।
4. उप/सहायक संचालक उद्यान, संचालनालय, समस्त।
5. वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकासखण्ड........................जिला......................(म.प्र.) समस्त।
6. पटल प्रभारी, संचालनालय, समस्त।

24/11

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल